



चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ। Ch. Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : पी०ए०/२१४१
दिनांक : 25.11.2019

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या/सचिव/निदेशक
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्थान
चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

विषय :- दिनांक 26.11.2019 को संविधान दिवस आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्रांक संख्या 2825/सत्तर-3-2019-08(40)/2019 दिनांक 25 नवम्बर, 2019 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करें।

उक्त के सम्बन्ध में मा० कुलपति जी के आदेशानुसार संलग्न उल्लेखित Preamble to the constitution को प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस 26 नवम्बर को पूर्वान्ह 11:00 बजे महाविद्यालय/संस्थानों में पढ़ा जाय, तथा इसकी फोटोग्राफी करके अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जिससे की सूचना शासन/निदेशक को सादर प्रेषित की जा सके।

अतः शासन के उक्त आदेशों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,


कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 01 वैयक्तिक सहायक-कुलपति को मा० कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
- 02 वैयक्तिक सहायक प्रति-कुलपति को प्रति-कुलपति जी के सूचनार्थ।
- 03 प्रो० विघ्नेश त्यागी, समन्वयक, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक परिषद, चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
- 04 समस्त विभागाध्यक्षों/विभागाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 05 विश्वविद्यालय, प्रेस प्रवक्ता।
- 06 प्रभारी, विश्वविद्यालय वेबसाइट।
- 07 सहा० कुलसचिव (सामान्य) को इस आशय से प्रेषित की वे उक्त आदेशों का पालन करना सुनिश्चित करें।


कुलसचिव

प्रेषक,

मनोज कुमार,
विशेष सचिव
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

1. कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।
2. निदेशक,
उच्च शिक्षा, उ०प्र०,
प्रयागराज।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी,
गोरखपुर।

उच्च शिक्षा अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक 25 नवम्बर, 2019

विषय:- दिनांक 26 नवम्बर, 2019 को संविधान दिवस आयोजित किए जाने के सम्बन्ध में।

महादय

उपयुक्त विषयक संसदीय कार्य अनुभाग-2 के पत्र संख्या-18भा०स०/90-स०-2-2019, दिनांक 20 नवम्बर, 2019 के साथ संलग्न पत्र सचिव, विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार का पत्र सं०-A21EVENT/02/2014 दिनांक 18.11.2019 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पत्र में की गयी अपेक्षानुसार पत्र के संलग्न में उल्लिखित Preamble to the Constitution को प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस 26 नवम्बर को पूर्वाह्न 11:00 बजे राज्य विश्वविद्यालय/सहाविद्यालयों/निदेशालय तथा अन्य समस्त कार्यालय में पढ़ा जाय।

2- इसके साथ इसकी फोटोग्राफ को सुश्री सुषमा ताईशेही, संयुक्त सचिव (टेलीफोन न०-011-23385020 ईमेल-jst-doj@gov.in) अथवा श्री शैलेश श्रीवास्तव, निदेशक (टेलीफोन न०-011-23072135 ई-मेल-diji-doj@gov.in) तथा निदेशक उच्च शिक्षा, उ०प्र०, प्रयागराज के ई-मेल आईडी० info@dheup.com में भेजने का कष्ट करे।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,
(मनोज कुमार)
विशेष सचिव

संख्या-2825(1)/सत्तर-3-2019, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, सचिवालय प्रशासन विभाग, उ०प्र० शासन।
- 2- निजी सचिव, सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
- 3- संसदीय कार्य अनुभाग-2
- 4- गार्ड फाइल।

उत्तर प्रदेश शासन
संसदीय कार्य-अभुभाग-2
संख्या- 18भा0स0 / 90-सं-2-2019
लखनऊ दिनांक- 20 नवम्बर, 2019

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

भारतीय संविधान की प्रस्तावना को इस वर्ष एवं प्रत्येक वर्ष
offices/establishments/units of Government Ministries/Subordinate
Offices/Autonomous Bodies में 26-11-2019 को प्रातः 11.00 बजे पढ़े जाने विषयक
डा0 आलोक श्रीवास्तव, सचिव, न्याय विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार के
पत्रसंख्या- ए 2जे/इवेटस / 02/2014 दिनांक 18-11-2019 (छायाप्रति संलग्न) का
कृपया अवलोकन करने का कष्ट करें।

संख्या...../ज.मु.स.भाप्र.शि./2019

सचिव

(क)

अनुरोध है कि कृपया भारत सरकार के उक्त पत्र दिनांक- 18.11.2019 में की गई
अपेक्षानुसार प्राथमिकता के आधार पर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें
तथा कृत कार्यवाही से अपर मुख्य सचिव, सचिवालय प्रशासन विभाग (नोडल अधिकारी) एवं
संसदीय कार्य विभाग को अवगत करायें।

संलग्नक-यथोक्त।

21.11.19

(जे0पी0 सिंह-2011)
प्रमुख सचिव।

21.11.19
VS (M)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- प्रमुख सचिव विधान सभा, ल0प्र0।
- 2- प्रमुख सचिव विधान परिषद, ल0प्र0।
- 3- निजी सचिव, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन।
- 4- अपर मुख्य सचिव सचिवालय प्रशासन विभाग (नोडल अधिकारी)।

21-11-19

जय हिन्द एवं माधविका विद्या विद्या
उत्तर प्रदेश शासन

को/का
22.11.19

3425/3425/10-28

45/15
2-11-19
22-11-19
(सचिव विभाग)
मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

आज्ञा से.

(जे0पी0 सिंह-11)
प्रमुख सचिव।

30-3
120
22-11-19
(ल0प्र0 कुमार सिंह)
अनु सचिव,
मुख्य विद्या विभाग
उत्तर प्रदेश शासन

श्रीलोक श्रीवास्तव, भा.प्र.से.

Alok Srivastava, JAS

एन.ए. ६२/१६५/२०१९



सत्यमेव जयते



सचिव
न्याय विभाग
मिनि. ऑफ. लॉ & जस्टिस

भारत सरकार

SECRETARY

DEPARTMENT OF JUSTICE
MINISTRY OF LAW & JUSTICE
GOVERNMENT OF INDIA

18-11-19

सि.जे.के. कुमार (नि.व.सी.)

D.O. No. 42/185/2019

उत्तर प्रदेश

No. 116 62 / 115/01/2019

Dated the 18th November, 2019

Dear Sir,

It has been decided by the Government that Preamble to the Constitution be read out in all the offices/establishments/units of Government Ministries/Subordinate Offices/Autonomous Bodies on 26.11.2019 at 11.00 AM this year, and every year. It is suggested that a banner regarding Samvidhan Divas may also be put up at the place where Preamble is being read out by everybody. A copy each of the 'Preamble' in Hindi and English is attached.

It is requested that photographs and pictures alongwith reports of the functions held for reading out of Preamble may be sent as soon as possible to Mr. Sushma Taishe, Joint Secretary (Tel No. 011-23385021, email - jsst-001@gov.in) or Shri. Shailesh Shrivastava, Director (Tel No. 011-23072135, Mobile No - 09870440735, email - 011-101@gov.in). Reports of activities alongwith photographs may also be uploaded on the website of Department of Justice (www.dj.gov.in).

With regards,

Yours sincerely

(Alok Srivastava)

Encl : As above

Secretaries, Government of India,

Chief Secretaries/Administrators State and Union Territory Governments.

Heads of all Subordinate Offices/Autonomous Bodies/Corporations / Organisations/ PSUs etc.

817/03/16/15
2-11-19

विषय)

1/11/19
न्याय विभाग
भारत सरकार

18-11-19
न्याय विभाग
भारत सरकार

10

भारत का संविधान

हम, भारत के लोग, भारत को एक 'सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतन्त्रात्मक गणराज्य' बनाने के लिए, तथा इसके समस्त नागरिकों को

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय,
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म

और इनामीन को स्वतंत्रता,
प्रतिष्ठा और वास्तव की समता

प्राप्त करने के लिए,

तथा इन सब में व्यक्ति की गरिमा और 'राष्ट्र की एकता और
अखंडता' सुनिश्चित करने वाली बंधुता

बढ़ाने के लिए

दुःसंकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख
28 नवम्बर, 1949 ई० (मिति मंगलशुक्ल शुक्ला सप्तमी, संवत् १९०७
चैत्र शुद्ध विक्रमी) को एतद्वारा इस संविधान को अंगीकृत,
अभिनिर्धारित और आत्मार्पित करते हैं।

संविधान (बालीनगर संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा - 3 द्वारा (2-1-1977 से) "प्रभुत्व-सम्पन्न लोकतन्त्रात्मक गणराज्य" के स्थान पर अभिव्यक्ति।

संविधान (असतोत्पत्ति संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा - 3 द्वारा (2-1-1977 से) "राष्ट्र की एकता" के स्थान पर अभिव्यक्ति।

THE CONSTITUTION OF INDIA

WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a ^{Part II} [SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC] and to secure to all its citizens:

JUSTICE, social, economic and political;

LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship;

EQUALITY of status and of opportunity;

and to promote among them all

FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the Nation;

IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY this twenty-sixth day of November, 1949, do HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION.

¹ In the Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976 a 2. for "SOVEREIGN DEMOCRATIC" was substituted.

² In the 39th & 40th Acts for "unity of the Nation" (Act 11 of 1977).